

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 01/11/2017

क्रमांक एफ-5(ए)/8/2016/ई/चार, राज्य शासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य लोक सेवा परीक्षा, 2013 की संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा (कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान) में नियुक्ति के लिये लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित प्रतीक्षा सूची से निम्नलिखित उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा पर निम्नांकित शर्तों पर मध्यप्रदेश वित्त सेवा के कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रुपये 15600-39100 ग्रेड-पे 5400 (छठवा वेतनमान) तथा उस पर समय-समय पर देय भत्तों के आधार पर नियुक्त किया जाकर कार्यालय संचालनालय, कोष एवं लेखा भोपाल में पदस्थ किया जाता है :-

क्र.	लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित सूची का क्रमांक	उम्मीदवार का नाम	भर्ती की श्रेणी (सीट)	वर्तमान डाक का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01.	03	श्री सौरभ तिवारी	अनारक्षित	77-सी, वैशाली नगर अन्नापूर्णा रोड, इंदौर (म.प्र.)

2/- यदि किसी अभ्यार्थी का चयन अस्थाई जाति प्रमाण पत्र के आधार पर हुआ है तो उसे अधिकतम 6 माह के अन्दर स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है तथा किसी अभ्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र वैद्य नहीं पाया जाता है उक्त दोनो स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।

3/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में ऐसा प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम ग्रहण करना होगा तथा ऐसी विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण करना होगी, जो शासन द्वारा निर्धारित की जाये।

4/- दो वर्ष की उक्त परिवीक्षा की अवधि में आपका कार्य एवं आचरण सन्तोषजनक न पाये जाने या विहित विभागीय परीक्षा अपेक्षित स्तर से उत्तीर्ण न करने या अन्य कारणों से, राज्य शासन, आपकी परिवीक्षावधि में 01 वर्ष आगे और वृद्धि कर सकेगा या आपकी सेवायें समाप्त कर सकेगा।

5/- चयन सूची में सभी उम्मीदवारों के नियुक्ति आदेश जारी हो जाने के पश्चात लोक सेवा आयोग की चयन सूची के आधार पर ही वरिष्ठता निर्धारित रहेंगी।


6/- उपरोक्तानुसार नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्त) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश वित्त सेवा (भरती तथा सेवा की शर्त) नियम, 1965 (समय-समय पर संशोधित) एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के अंतर्गत शासित होंगे।

7/- राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के आधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अशंदापन पेंशन प्रणाली लागू की गई। सेवा संबंधी अन्य मुद्दे नियमित शासकीय सेवकों को लागू सामान्य वर्तमान नियमों अथवा जो भविष्य में बनाये जाये और उन्हें लागू किया जाये, के अधधीन रहेंगे।

8/- उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक बॉण्ड शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा उन पर खर्च की गई राशि जिसमें वेतन, भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य व्यय शामिल होंगे, की वापसी के लिये उत्तरदायी रहेगा। बाण्ड का प्रारूप संलग्न है। इसकी पूर्ति कर इसे संचालनालय, कोष एवं लेखा को प्रस्तुत करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार


(अनिशुद्ध मुकेशी)
प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

भोपाल दिनांक 01/11/2017

पृ.क्रमांक एफ-5(ए)/3/2017/ई/चार,

प्रतिलिपि :-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के निज सचिव,
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सचिव,
3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय,
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
5. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर की ओर पत्र क्रमांक 98/83/2016/चयन, दिनांक 14.12.2016 एवं 5421/05/2016/चयन, दिनांक 3.7.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
6. आयुक्त कोष एवं लेखा की ओर अग्रेषित कर अनुरोध है कि लोक सेवा आयोग से अनुशंसित प्रतीक्षा सूची अनुसार अभ्यर्थियों से चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ सी-3/15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर, 2012 अनुसार शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जाये। इसके साथ ही :-

अ- चयनित उम्मीदवारों से कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व बाण्ड की पूर्ति कराकर रिकार्ड में रखे।

ब- नियुक्ति आदेश की प्रति भेजकर निवेदन है कि एक प्रति संबंधित अधिकारी की सेवा-पुस्तिका में संलग्न की जाये।

स- कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों के संबंध में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावे।

द- चयनित उम्मीदवार को प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कर प्रशिक्षण कराना सुनिश्चित करें।


ई- आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों से निर्धारित प्रपत्र में जाति संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर इसकी पुष्टि संबंधित जिले के कलेक्टर से कराकर अभिलेख में सुरक्षित रखे।

7. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल,
8. प्रशासनिक अधिकारी, आर.सी.व्ही.पी.नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी, शाहपुरा भोपाल।
9. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा/संभागीय पेंशन अधिकारी।
10. समस्त जिला कोषालय अधिकारी/जिला पेंशन अधिकारी।
11. श्री/श्रीमती/कु.-----

की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में अपनी उपस्थिति दिनांक 15.11.2017 तक आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल पर्यावास भवन पंचम तल, अरेरा हिल्स में देते हुए कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

12. गार्ड फाईल।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


प्रमुख सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

MURKATAS, I.....

R/O.....

probationer in the State Finance Service

(Here in after referred to as the probationer) being entitled to receive from the Governor (Hereinafter) referred to as the State Government) Pay and allowances during the period in which I am under probation .

Now, We, the probationer

S/O.....R/O.....

and Shri.....(surety) s/.....

R/O.....(hereinafter referred to as

surety) jointly and severally, do hereby promise and agree in the event of the failure of the probationer to complete probation to the satisfaction of the State Government to refund to the State Government on demand any money paid to him during his probation period including the pay and travelling expenses to join appointment.

The surety hereby agrees that his liability hereunder shall not be effected by the State Government extending the period of probation or giving the probationer an extension of time for payment of or compensating the amount hereunder-

"Stamp duty payable on this bond shall be borne and paid by the Government."

.....

Dated this.....day of.....199..

Signature of probationer.....

Full Name

Signed by probationer in the presence of
Name of Witness

&
Signature.....

Address.....

Occupation.....

Name and signature of the surety.

Signed by surety in the presance of;

Name of Witness & Signature.....

Address.....

Occupation.....

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आ दे श //

भोपाल, दिनांक 01.11.2017

क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, मध्यप्रदेश वित्त सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को कॉलम-4 में अंकित दिनांक द्वारा कॉलम-3 अनुसार स्थानांतरित कर पदस्थ किया गया है :-

क्र	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	स्थानांतरण आदेश का दिनांक
1	2	3	4
01.	श्री कैलाश प्रसाद नागिया लेखाधिकारी संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं भोपाल।	लेखाधिकारी संचालनालय पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण भोपाल	31.10.2017
02.	श्री सुरेन्द्र कुमार चौरसिया लेखाधिकारी, संचालनालय, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, भोपाल	जिला कोषालय अधिकारी सतना	31.10.2017

2/ उपरोक्त अधिकारी के द्वारा आज दिनांक तक नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है अतएव उपरोक्त अधिकारी को नवीन पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु दिनांक 01.11.2017 से एक पक्षीय कार्यमुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आप नवीन कर्तव्य स्थल पर आज ही कार्यभार ग्रहण कर पालन प्रतिवेदन शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि किसी अधिकारी द्वारा शासन आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो आचरण नियम की अवहेलना मानते हुए एक पक्षीय कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी।

(विजय कठाने)
अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल दिनांक 01.11.2017

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि :-

01. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 02. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफिसर,
 03. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त के निज सहायक,
 04. आयुक्त, कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश, भोपाल,
 05. संबंधित की ओर-----
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग